


न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल कैम्प रीवा म.प्र.



तारापति आत्मज रामहित नाई निवासी श्राम- व्यंकट नगर
थाना व तह. जैतहरी, जिला-अनूपपुर म.प्र. आवेदक

बनाम

1. चोडेलाल उर्फ राजेश आत्मज जगन्नाथ नापित
2. सुनु पुत्री जगन्नाथ नापित
3. कुमुम पुत्री जगन्नाथ नापित,
4. छोटेलाल पिता परमेश्वर नापित,
सभी निवासी श्राम व्यंकट नगर, थाना-व तह. जैतहरी,
जिला- अनूपपुर म.प्र.
5. दददी उर्फ श्याम पिता परमेश्वर नापित निवासी-तिविल
द्वारा १२०१२ न्यायालय के पीछे मनेन्द्र गढ़, तह. मनेन्द्रगढ़, जिला-खुन्हपुर,
छ०ग०
6. बुद्धकी पुत्री क्षेत्रिया नापित निवासी-मेटुका तह. गोरेला,
जिला-बिलासपुर छ०ग०
7. बुद्धदानी पुत्री क्षेत्रिया नापित निवासी क्षेत्रा, तह. जैतहरी,
जिला-अनूपपुर म.प्र.
8. राजेश पिता क्षेत्रिया नापित निवासी श्राम व्यंकटनगर तह
जैतहरी जिला अनूपपुर म.प्र. अनावेदकगण

राजस्व निगरानी विल्ड आकेश श्रीमान् अनु०

आधिकारी महोदय जैतहरी, जिला अनूपपुर म.प्र.

के राजस्व प्र०क० -१०/अप्रील/०६-०७ आकेश दि०

२८.५.२००८

निगरानी अन्तर्वर्त धौरा-५० म.प्र. शुरू संहिता १९५८

मान्यवर,

क्षेत्रियी श्रुति

आवेदन तारापत्रिलाइ के विधिक कारिय-

- (३) बेबा चेमालाई नाई पील लाली तारापत्रि नाई ३४-८०५७
(४) विश्वनाथ लाई लक्ष्मी तारापत्रि लाई ३४-८०५८
(५) लल्लू लाई लक्ष्मी लाली तारापत्रि लाई ३४-८०५९
(६) छुशुम नाई पल्ली श्री हमराज नाई पुरी लाली लाली तारापत्रि लाई ३४-८०६०
(७) मोदला पानी लंडी के पीके मनिन्दु गढ (३४८०)
(८) राधानाई पल्ली श्री बीरन नाई पुरी लाली तारापत्रि लाई लिख स्त्री गाँग ३४-८०६१
(९) रुपनीत नाई पल्ली श्री राधकृष्ण सेन पुरी लक्ष्मी तारापत्रि लाई ३४-८०६२
उपर लिखा रखा उसी स्तर के पीके मनेल्ड गाँग ३४-८०६३

अंक ८०६३

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

क्रमांक R649-II/12

जिला—अनूपपुर

तारापति नाई/ शोखेनाल वगैरे:

(1)	(2)	(3)
०६.४-१९	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्णपाल उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील जतौहरी के प्रकरण क्रमांक 10/अपील/2006—07 में पारित आदेश दिनांक 28.05.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला अनूपपुर के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">/ /</p> <p style="text-align: right;">(महेशचन्द्र घोघरी), सदस्य</p>	